



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 964]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939

No. 964]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGRAHAYANA 7, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1466(ब).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी अधिनियम, 1923 की धारा 35 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मकार प्रतिकर (धन का अंतरण) नियम, 1935 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मकार प्रतिकर (धन का अंतरण) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- संपूर्ण कर्मकार प्रतिकर (धन का अंतरण) नियम, 1935 में 'कर्मकार' शब्द जहाँ कहीं वह आता है, के स्थान पर 'कर्मचारी' शब्द रखा जाएगा और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों, भी किए जाएंगे।
- संपूर्ण मूल नियमों में 'कर्मकार' शब्द जहाँ कहीं वह आता है, के स्थान पर 'कर्मचारी' शब्द रखा जाएगा और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों, भी किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-36025/01/2011-एसएस-I]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत सरकार, उद्योग और श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. एल.-3033 तारीख 13 मार्च, 1935 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 400, तारीख 20 जून, 1991 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2017

G.S.R. 1466(E).—In exercise of the powers conferred under Section 35 of the Employee's Compensation Act, 1923, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Workmen's Compensation (Transfer of Money) Rules, 1935, namely:-

- 1 (1) These rules may be called the Workmen's Compensation (Transfer of Money) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Workmen's Compensation (Transfer of Money) Rules, 1935 (hereinafter referred to as principal rules), in rule 1, for the word "Workmen's", the word "Employee's" shall be substituted;
3. Throughout the principal rules for the words "workman" and "workmen", wherever they occur, the words "employee" and "employees" shall respectively be substituted, and such other consequential amendments as the rules of grammar may require, shall also be made.

[F. No. S-36025/01/2011-SS-I]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Footnote: The principal rules were notified vide Government of India, Department of Industries and Labour, notification No. L-3033, dated the 13th March, 1935 and was last amended vide number G.S.R. 400, dated the 20th June, 1991.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1467(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मकार प्रतिकर (कार्यवाही स्थल) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मकार प्रतिकर (कार्यवाही स्थल) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. संपूर्ण कर्मकार प्रतिकर (कार्यवाही स्थल) नियम, 1996 में 'कर्मकार' शब्द जहाँ कहीं वह आता है, के स्थान पर 'कर्मचारी' शब्द रखा जाएगा और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों, भी किए जाएंगे।
3. संपूर्ण मूल नियमों में 'कर्मकार' शब्द जहाँ कहीं वह आता है, के स्थान पर 'कर्मचारी' शब्द रखा जाएगा और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों, भी किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-36025/01/2011-एसएस-I]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451, तारीख 25 सितंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2017

G.S.R. 1467(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 21 of the Employee's Compensation Act, 1923, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Workmen's Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996, namely:-

- 1 (1) These rules may be called the Workmen's Compensation (Venue of Proceedings) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Workmen's Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996 (hereinafter referred to as principal rules), in rule 1, for the word "Workmen's" the word "Employee's" shall be substituted;
3. Throughout the principal rules for the words "workman" and "workmen", wherever they occur, the words "employee" and "employees" shall respectively be substituted, and such other consequential amendments as the rules of grammar may require, shall also be made.

[F. No. S-36025/01/2011-SS-I]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Footnote: The principal rules were notified vide Government of India, Ministry of Labour notification *vide* number G.S.R. 451, dated the 25th September, 1996.